



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122022-240867
CG-DL-E-07122022-240867

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5463]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 7, 2022/अग्रहायण 16, 1944

No. 5463]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 7, 2022/AGRAHAYANA 16, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2022

का.आ. 5695(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तेलंगाना राज्य के NH-353B के चार लेन में पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण और मजबूत करने हेतु, NH-353B के आदिलाबाद-बेला सेक्शन कि.मी 0.00 से कि.मी 33.00 तक के लिए रेवेन्यू डिविशनल ऑफिसर आदिलाबाद, आदिलाबाद जिला, को उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गाँवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-353B के चार लेन में प्लेड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण और मजबूत करने हेतु, NH-353B के आदिलाबाद-बेला खंड के कि.मी. 0.00 से कि.मी. 33.00 तक, पर भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, आदिलाबाद	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH353B के कि.मी. 0 से 33 तक	तेलंगाना	आदिलाबाद	बेला	1 मोहबतपुर
						2 शमशाबाद
						3 धोपताला
						4 भुहरानपुर
					जयनाथ	1 फौजपुर
						2 निराला
						3 जयनाथ
						4 कप्री
						5 तरोड़ा (बी)

[फा. सं. EE/NHP/NH353B/LA/Additional/3a/Bhoomirasi/2022]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2022

S.O. 5695(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to State, Districts, Taluk, and Villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said by Revenue Divisional officer Adilabad, Adilabad district for Km 0.00 to 33.00 of Adilabad-Bela section of NH-353B, Schedule for widening and strengthening to 4 laning with paved shoulders of NH-353B in the State of TELANGANA.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-353B for widening and strengthening to 4+LPS from Km. 0.00 to Km. 33.00 of Adilabad-Bela section of NH-353B in the State of TELANGANA.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Revenue Divisional officer, Adilabad	0KM To 33KM	TELANGANA	Adilabad	Bela	1 Mohabatpur
						2 Shamshabad
						3 Dhoptala
						4 Buharanpur
					Jainath	1 Fouzpur
						2 Nirala
						3 Jainath
						4 Kapri
						5 Taroda (B)

[F. No. EE/NHP/NH353B/LA/Additional/3a/Bhoomirasi/2022]

RAJESH GUPTA, Director